

REPORT
PATNA SATYAGARHA

पटना सत्याग्रह




फाईन,माल एवं ठेला ज़ब्ती
के खिलाफ़ फुटपाथ पे सत्याग्रह



After the shocking and unexpected announcement of the Divisional Commissioner of Patna Kumar Ravi said that Street Vendors will not be able to do their vending activities for almost 10 hours a day on Bailey Road, Nehru Path, Boring Road, and other places. The news came as a shock as it was affecting the livelihood of Street Vendors.

The order of the Divisional Commissioner is none less than any other order under the British Raj, it reflects the same level of atrocity, exploitation, and superiority against the *mango people*.

NASVI took immediate action on it and wrote letters to many officials regarding this decision and protested that it should be taken back, vendors should be allowed to vend and TVC meetings should be conducted.



National Association of Street Vendors of India (NASVI)
#304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001
Tele: 0612-2220772/2220773, E-Mail: nasvignet@hotmail.com


दिनांक :- 03.04.2024

सेवा में,
जिला पदाधिकारी महोदय
पटना

विषय :- प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, गांधी मैदान के समक्ष 06 अप्रैल 2024 को दिन शनिवार को नासवी एवं पटना शहर स्तरीय फुटपाथ विक्रेता संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के संबंध में।

महोदय,
सविनय निवेदन पूर्वक कहना है की पटना नगर निगम क्षेत्र के सार्वेक्षित फुटपाथ विक्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र (CoV) प्राप्त है जिसमे वेंडिंग के प्रकार एवं वेंडिंग के स्थल अंकित है परंतु प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है साथ ही अतिरिक्त नाम पर फाइन काटा जा रहा है सामान उठाकर ले जाया जाता है जिसके कारन सभी वेंडर अपने रोजगार से वंचित हो रहे है जिसके बारे में लिखित सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दि गई है परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए सभी फुटपाथ दुकानदारों ने निर्णय लिया की 06/04/2024 को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे दोपहर 11 बजे से।

अतः प्रमंडलीय आयुक्त के इस प्रकार के आदेश से मजबूर होकर नासवी तथा पटना शहर स्तरीय फुटपाथ विक्रेता संघ द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हेतु आपको सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

आपका विश्वासी

रवि कुमार चौधरी
नगर प्रबंधक
नासवी
9851813515

Administrative Office: 1st Floor, Sagar Complex, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg Delhi-110092.
Tel: 011 47553013, 43073013, Email: office@nasvignet.org, Website: www.nasvignet.org

National Association of Street Vendors of India (NASVI)
 #304, Maurya Tower, Maurya Lok Complex, Patna 800001
 Tele: 0612-2220772/2220773, E-Mail: nasvinet@hotmail.com

दिनांक: 03/04/2024

सेवा में
 अनुमंडल पदाधिकारी
 पटना सहर

विषय: फुटपाथ दुकानदारों को माइकिंग कर सूचना देने के संबंध में

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है की प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा पटना सहर के फुटपाथ दुकानदारों के लिए समान निर्धारित किए जाने के कारण फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार में हो रही समस्या के समाधान हेतु सभी दुकानदारों को माइकिंग कर सूचना देकर एकत्रित करने एवं इसके विरुद्ध आवेज उठाने के लिए माइकिंग करने के लिए प्यनि विस्तारक कर एवं चार पहिए गयी TATA ACE (गारी न. BR01GK0821) को पूरे सहर में प्रमण करने अनुमति प्रदान की जाए. यह कार्य दिनांक 03/04/2024 से 06/04/2024 तक किया जाएगा.

अतः आपसे सादर अनुरोध है की इस कार्य के लिए हमें पोषणा बाहन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर
 Ranjan
 रोजन कुमार चौधरी
 नगर प्रबंधक
 983113515

National Association of Street Vendors of India (NASVI)
 #304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001
 Tele: 0612-2220772/2220773, E-Mail: nasvinet@hotmail.com

दिनांक: 03/04/2024

सेवा में
 अनुमंडल पदाधिकारी
 पटना सहर

विषय: फुटपाथ दुकानदारों को माइकिंग कर सूचना देने के संबंध में

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है की प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा पटना सहर के फुटपाथ दुकानदारों के लिए समान निर्धारित किए जाने के कारण फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार में हो रही समस्या के समाधान हेतु सभी दुकानदारों को माइकिंग कर सूचना देकर एकत्रित करने एवं इसके विरुद्ध आवेज उठाने के लिए माइकिंग करने के लिए प्यनि विस्तारक कर एवं चार पहिए गयी TATA ACE (गारी न. BR01GK0821) को पूरे सहर में प्रमण करने अनुमति प्रदान की जाए. यह कार्य दिनांक 03/04/2024 से 06/04/2024 तक किया जाएगा.

अतः आपसे सादर अनुरोध है की इस कार्य के लिए हमें पोषणा बाहन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर
 Ranjan
 रोजन कुमार चौधरी
 नगर प्रबंधक
 983113515

NASVI Coordinator NASVI <coordinator@nasvi.net>

Regarding unlawful evictions of Street Vendors from Bailey Road, Boring Road and other markets by District Administration.

Wed, Apr 3, 2024 at 4:56 PM
 Coordinator NASVI <coordinator@nasvi.net>
 To: Arbind Singh <arbindsingh@gmail.com>

3-04-2023

To
 Sir: Rajeev Kumar Mishra Jee (IPS)
 Senior Superintendent of Police - Patna

Subject - Regarding unlawful evictions of Street Vendors from Bailey Road, Boring Road and other markets by District Administration.

Sir,

We are shocked to see that the District official of Patna especially Divisional Commissioner along with other officers has blatantly issued an order to evict and restrict the street vending on Bailey Road, Nehru Path, Boring Road and other places (attached news clipping). As per the news clipping it says that street vendors will not be able to do their vending activities for almost 10 hours a Day, which will result in a huge loss of Livelihood.

Needless to say that the Town vending committee meeting that happened on 3rd August had decided that there would be full protection of Street Vendors in Patna.

The recent order by Divisional commissioner is completely unlawful and as per the law Town Vending committee under Patna Municipal corporation is responsible for any decision for Street Vendors.

Since the Police department is also part of the Town Vending Committee and its responsibility of Patna Police to protect the rights of street vendors as per the Street Vendors ACT 2014. We need your urgent intervention in protection of street vendors from eviction and loss of livelihood. Otherwise we are going to organize a peaceful protest at the Divisional Commissioner office on 6th April 2024.

Regards
 Arbind Singh
 Arbind Singh- National Coordinator (NASVI)
 9910306625

National Association of Street Vendors of India (NASVI)
 #304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001
 Tele: 0612-2220772/2220773, E-Mail: nasvinet@hotmail.com

दिनांक - 30.3.2024

सेवा में
 कुमार सिंह (भा.उ. से.)
 प्रमंडलीय आयुक्त
 पटना सहर

विषय :- सैनिक हिंदुस्तान के 30/03/2024 के संकलन में अतिक्रमण अभियान को लेकर प्रकाशित समाचार के संबंध में.

महाराज

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है की विहार सरकार द्वारा विहार में पथ विक्रेता (लौकिका संरक्षण और पथ विक्रेता विधियाम) अधिनियम 2014 के धारा 3 (1) के अंतर्गत लगभग 23820 फुटपाथ दुकानदार का संरक्षण कवचा मया तथा धारा 4 (1) के तहत सर्वोच्चत सभी पथ विक्रेताओं को विक्रम प्रमाण पत्र/व्यवहान पत्र निर्गत किया गया जिसमें वेक्टर के वीरिंग प्रारत तथा वीरिंग के प्रकार अंकित है जिससे यह साबित होता है की विहार सरकार द्वारा वेक्टर के रोजगार को संरक्षित कर रही है साथ ही वेक्टर प्रारतार के द्वारा प्रपानतरी स्व निधि योजना से 16676 स्ट्रीट वेक्टर को 10000 रु. से 50000 रु. तक का लोन देकर इनके बिजार को बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है मसु ठीक इसके निर्धारित पदाधिकारी लोग इनको उधारने का पतन कर रही है यह वेक्टरों विरुद्ध है. यदि इनके उधार तथा गो मे लोन कर र. कहा से लौटाने और इसके लिए कोन क्रिमिणार होगा.



महाराज अतिक्रमण और अवैध की परिभाषा निश्चित की जाए क्योंकि यदि वे अवैध और अतिक्रमणकारी है तो नगर विभाग ने इनके सर्विकिन्ट अतिक्रमण करों दिया और भारत सरकार ने इनके बैंक से लोन को रिलियायस यह एक बरा संभव है. महाराज को समक साथी आपके द्वारा निर्धारित किया गया है वह कहीं से व्यवहारीक नहीं है. महाराज अवैध अतिक्रमण करवाना चाहते हैं वेक्टर को व्यवस्था करने और इनके लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए टाउन वेंडिंग कमीटी बनी हुई है जिसके पतेन अध्यक्ष जग निराम के नाम आयुक्त है और सभी कमीटी को पूर्ण अधिकार है की वेक्टर के लिए कोई निर्णय ले और अपने को निर्णय लिया है उसमे तो अपने टाउन वेंडिंग कमीटी को शामिल ही नहीं किया है.

पथ विक्रेता (लौकिका संरक्षण और पथ विक्रेता विधियाम) अधिनियम 2014 की धारा 33 के अनुसार पथ विक्रेता के ऊपर पथ विक्रेता (लौकिका संरक्षण और पथ विक्रेता विधियाम) अधिनियम 2014 के अतिरिक्त में रहने हार इनके ऊपर दूसरा कोई भी धनुन लागू ही नहीं होता है.

अतिरिक्त :- पुराने भी विहार, मने नगर विहार एक आवेज विभाग बिहार, प्रदान समित्य नगर विभाग एवं भारत विभाग बिहार सरकार, विचारिकारी उठाना, बरतन पुनित्त अतीरक पटना, नगर आयुक्त पटना नगर विभाग पटना, अनुमंडल पदाधिकारी पटना. **सदर**

भा.उ. से.
 अतिरिक्त सिंह
 राष्ट्रीय समन्वयक
 NASVI
 9910306625

Administrative Office: 1st Floor, Sagar Complex, New Rajdhani Bldg, Vikas Marg Delhi-110092.
 Tel: 011 47553013, 43073013, Email: office@nasvi.net.org, Website: www.nasvi.net.org



According to Section 3(1) under The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, 23,820 Street Vendors were Surveyed and under Section 4 (1) they were issued Certificate of Vending in which vending area, vending type, and such information are provided. In addition to that 16,676 Street Vendors benefit from the PM SVANidhi Scheme, which sanctions amounts of 10,000 to 50,000 to Street Vendors. All these provisions mean that street vendors are acknowledged and protected and even then, an order of such audacity was declared by officials. The question arises that if the vendors are illegal encroachers according to the Divisional Commissioner, then why the Street vendors were surveyed and given certificates, and secondly how they are going to pay back the loan if they are allowed to vend for 4 hours a day?

NASVI at the initial level of Advocacy, wrote a letter to the Municipal Corporation, the Governor, Patna Police, and other authorities when this didn't seem to do any damp to the government NASVI took the high road and announced the **PATNA SATYAGRAHA** from 23 to 25 April.

After many decades of our Freedom Struggle, the Gandhian method of Satyagraha still holds the Charm and power to shakedown the power. On 23rd April Street Vendors of Patna closed down the market. The markets were Rajendra Nagar, Rajapurpol Sabzi Mandi, Rajabazar, Boring Road, Ashiyan Mod, Sachivalya Road, Children Park, Kankarbagh, Patna City, Gayaghat, Ashok Rajpah and many others were closed.

The solidarity of Street Vendors of Patna came as an answer to the system that if exploitation is done against them, they will not hesitate to take action.

The consequence of the 3-day Satyagraha was, that Mandi was closed due to which the commodities were not sold and almost 4 crore was lost. Naturally, the prices of fruits &

vegetables also went up which was the optimum sign of why Street Vendors are an integral part of our economy.





